

कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक:- 243

दिनांक:- 29.3.17

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- सी0सी0एल0 के नया प्रस्ताव के0डी0एच0 परियोजना हेतु 126.72 हे0 वनभूमि (84.35 हे0 अधिसूचित वनभूमि तथा 42.37 हे0 जी0एम0 जंगल-झाड़ वनभूमि) अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग :- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राँची रीजन, राँची का पत्रांक 20 दिनांक 04.01.2017
2. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची का पत्रांक 348 दिनांक 15.03.2017

महाशय,

प्रासंगिक पत्र की (छायाप्रति संलग्न) करते हुए सूचित करना है कि सी0सी0एल0 का के0डी0एच0 परियोजना हेतु 84.35 हे0 अधिसूचित वनभूमि तथा 42.37 हे0 जी0एम0 जंगल-झाड़ कुल 126.72 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy की पाँच प्रतियाँ प्राप्त हुआ है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची का पत्रांक 348 दिनांक 15.03.2017 द्वारा विषयक प्रस्ताव के अभिलेखों की छायाप्रति को वन प्रमंडल पदाधिकारी से Authenticate किये जाने के उपरांत समर्पित किया गया है।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् है:-

1. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का विवरण निम्नवत् है :-

प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वनभूमि का रकबा (हे0 में)	गैरमजरूआ खास जंगल झाड़ी के रूप में दर्ज वनभूमि का रकबा (हे0 में)	कुल प्रस्तावित वन भूमि का रकबा (हे0 में)
राँची वन प्रमंडल	84.35	42.37	126.72

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित पार्ट-I संलग्न है।
3. 1:50000 स्केल के टोपो शीट पर लोकेशन मैप संलग्न है।
4. विहित प्रपत्र पार्ट-II में वन प्रमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा संलग्न है।
5. विहित प्रपत्र पार्ट-III में वन संरक्षक की अनुशंसा संलग्न है।
6. वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन।
7. क्षतिपूरक वनरोपण योजना एवं प्राक्कलन संलग्न है।
8. क्षतिपूरक वनरोपण स्थल का नक्शा संलग्न है।
9. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु पहचान की गयी दो गुणे वनभूमि के संबंध में Suitability प्रमाण पत्र संलग्न है।

10. जंगल-झाड़ वनभूमि के संध में आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल राँची का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।
11. वन अधिकार अधिनियम से संबंधित उपायुक्त का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।
12. DGPS Survey by CMPDI, Ranchi
13. परियोजना से संबंधित लैण्ड शिड्यूल संलग्न है।
14. परियोजना का लागत लाभ विश्लेषण संलग्न है।
15. अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य Part-IV संलग्न है।
16. वन विभागीय पत्रांक 4542 दिनांक 08.10.2014 के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से इस परियोजना हेतु अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। तदोपरान्त इसे Online कर Time line संलग्न है।
17. प्रस्तावित परियोजना में C.W.L.W का मंतव्य अपेक्षित है। इस हेतु उनसे अनुरोध किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेज दिया जायगा।
18. क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा विषयगत परियोजना हेतु कुल 126.72 हे० वनभूमि अपयोजन के लिए अनुशंसा की गई है। अधोहस्ताक्षरी इससे सहमत है। मानक शर्तों पर इस परियोजना हेतु लोकहित में अनुसंशा की जाती है।

प्रस्ताव की तीन मूल प्रति सभी अनुलग्नकों के साथ संलग्न करते हुत अनुरोध है कि विषयगत परियोजना हेतु कुल 126.72 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज-I की स्वीकृति प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०:—यथोक्त।

विश्वासभाजन

७. 29/3/17

प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

29-3

PART –IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

CCL, K.D. Hesalong Open Cast Project 126.72 ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 126.72 ha. Forest land.

Date :- 29.03.2017

Place :- Ranchi.

Signature
29/3/17

(RAMESH RAMSAI HEMBROM)

Nodal Officer

Name & Designation

Principal Chief conservator of Forests

-cum-Executive Director

Waste Land Development Board

Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)